B.A. III
Paper 6th
Unit/4

"Hobbes on Social Contract" (1)

Topic — सामाजिक समझौता के संबंध में हॉब्स के विचार।

अंग्रेज विचारक टॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों के बीच सामाजिक समझौता के वर्णन के प्रसंग में राज्य की स्थापना की दो विधियों की चर्चा की है। एक विधि अधिग्रहण अथवा बल प्रयोग की विधि (Method of Acquisition) कही जाती है। इसमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति अराजक स्थिति के व्यक्तियों पर अपने बल की स्थापना करता है। सभी लोग उससे भय खाते हैं तथा उसकी अधीनता में रहना स्वीकार करते हैं। इसमें व्यक्तियों की इच्छा प्रधान नहीं होती। लेकिन हॉब्स का मत है कि राज्य स्थापना की यह विधि स्थायी रूप से राज्य की स्थापना और एकता का प्रतिष्ठान नहीं कर सकती। शासन लोगों में केवल बाह्य एकता उत्पन्न करता है। उसका बल प्रयोग लोगों में आन्तरिक एकता का जन्म नहीं दे पाता है। हॉब्स ने एक दूसरी विधि उपादेयता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें प्रतिष्ठापन अथवा सामाजिक समझौते की विधि कहा जाता है।

सामाजिक समझौते की विधि में लोग आपस में समझौता करते हैं जिसका संबंध किसी शासक के चुनाव तथा उसके शासन की स्थापना से होता है। वे समझौता किसी शक्तिशाली व्यक्ति से भय खाकर नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक अवस्था के अनन्त संघर्षों और लूट-पाट आदि के कारण उत्पन्न असुरक्षा (Insecurity) की स्थिति से छुटकारा की आशा संजोकर करते हैं।

सामाजिक समझौते के संबंध में हॉब्स ने कहा है कि "शासक अथवा शासक वर्ग इसमें भाग लेने वाला नहीं था। शासक मनुष्यों के पारस्परिक समझौते के लक्ष्य थे। राज्य-उत्पत्ति के सामाजिक समझौते में किसी मनुष्य के अनेक मनुष्य उस समुदाय के अधिकांश भाग के रूप में सबों के लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसके कार्यों और निर्णयों को अपने स्वयं के कार्य और निर्णय समझने के लिए वे आपस में सहमति प्रकट करते हैं। हॉब्स का मत है कि प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने विवेक द्वारा संचालित होकर इसी प्रकार का सामाजिक समझौता किया जिसके परिणाम स्वरूप सभी एक वास्तविक इकाई में बंध गये। अपने विचारों को और अधिक ढंग से स्पष्ट करते हुए हॉब्स ने कहा है कि

Scanned with CamScanner

"यह समझौता इस प्रकार हुआ है मानो प्रत्येक मनुष्य ने प्रत्येक मनुष्य से कहा हो - "मैं अपने शासन का अधिकार इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के इस समूह को इस शर्त पर सौंपता हूँ कि तुम भी इसे अपने शासन का अधिकार इसी प्रकार सौंप दो।"

इस प्रकार होब्स ने प्राकृतिक अवस्था के हिंसक और रक्तपात में लीन मनुष्यों को सामाजिक संविदा के दर्शन से एकीकृत सभ्य प्राणी बना दिया है। इस समझौते से मनुष्यों का एक व्यक्ति के रूप में संयुक्तीकरण हुआ तथा शासक के उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप नियम-कुशल स्वाधीन तथा निधि-निहित राज्य की उत्पत्ति हुई।

होब्स के विचारों से स्पष्ट है कि अपने राज्य और समाज तथा राज्य और शासन में कोई भेद नहीं किया है। उसके मत में जब तक मनुष्यों को शासन सूत्र में बाँधने वाली शक्ति नहीं होती तब तक न तो राज्य होता है और न समाज। शासक की धारणा ही राज्य और समाज की धारणा को उत्पन्न करती है। शासक के अभाव में मनुष्यों का समूह एक नेतृत्वहीन भीड़ होता है तथा सभी एकाकी सुविधाओं की तृप्ति के लिए संघर्ष करने लगते हैं।

होब्स के सामाजिक समझौते की विशेषताएँ :— होब्स द्वारा वर्णित सामाजिक समझौते का विश्लेषण करने पर उसकी निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं।

(i) होब्स के अनुसार मानव समाज के व्यक्ति आपस में मिलकर समझौता करते हैं। समझौते में समुदाय के लोग चुने गये शासक अथवा शासक-वर्ग के कार्यों और निर्णयों को अपने स्वयं के निर्णय समझेंगे। अतः होब्स का समझौता सिद्धान्त अनेक मनुष्यों तथा अधिकांश भाग की सहमति में सभी की सहमति को समावेशित करता है। यदि शासक वर्ग के चुनाव में कोई व्यक्ति अपना विरुद्ध मत प्रकट करता है तो उसका अधिकांश भाग के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ता है।

(ii) सामाजिक समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। चूँकि सभी मनुष्य अपनी व्यक्तिगत छूट का परित्याग करके सामाजिक बंधन स्वीकार बंधन स्वीकार किया, अतः ये सामाजिक है। चूँकि समझौते ने राजसत्ता की स्थापना करके मानव-समुदाय के राजनीतिक स्वरूप को

Scanned with CamScanner

रचना की अतः यह राजनीतिक है।

(iii) सामाजिक समझौता होने के बाद किसी को भी राजसत्ता से अलग होने का अधिकार नहीं है। समझौते के बाद कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी ने अपनी शक्ति का परित्याग करके एक मनुष्य या मनुष्यों के समूह को शासन का अधिकार दे दिया है। शासक सर्व प्रभुत्व सम्पन्न होता है। उसकी शक्ति असीमित होती है। हॉब्स का संप्रभु निरंकुश, निर्विघ्न तथा निर्दय है।

(iv) सामाजिक समझौते के फलस्वरूप जो संप्रभु सत्ता जन्म लेती है, वह अविभाज्य है। हॉब्स के मत में संप्रभु चाहे एक व्यक्ति में निवास करती हो अथवा व्यक्तियों के एक समूह में, वह अखण्डित और अविभाजित रूप में एक होती है।

(v) समझौते में शासक ने भाग नहीं लिया। इसमें प्राकृतिक अवस्था के समान और स्वतन्त्र व्यक्तियों ने भाग लिया। अतः यह समझौता सामाजिक और राजनीतिक है, परन्तु सरकारी अथवा शासकीय नहीं।

(vi) हॉब्स ने सामाजिक समझौते को दैवगत आधार नहीं दिया है। उसका कहना है कि प्राकृतिक दशा से समान व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ मानो समझौता किया हो।

(vii) समझौता राजा और प्रजा की धारणा को व्यक्त करता है। सभी मनुष्य शासक की प्रजा हैं तथा शासक सभी व्यक्तियों का राजा है।

(viii) हम देखते हैं कि हॉब्स का सामाजिक समझौता मनुष्यों को एक दासता की स्थिति में रख छोड़ा है। सभी मनुष्य बिना किसी शर्त के संप्रभु की अधीनता स्वीकार करते हैं। अतः हॉब्स के दर्शन की यह अत्यन्त निराशा है कि वह प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र और स्वच्छन्द मनुष्यों को निरंकुश प्रभु की रचना करके दासत्व की संभावनाओं में रख देता है। लेकिन हॉब्स ने शासक की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता की संभावना को ध्यान में रखते हुए कहा है कि यदि शासक किसी व्यक्ति को अपनी हत्या करने अपना अंग भंग करने, अपने आक्रमणों का विरोध न करने अथवा जीवन को कायम रखने वाली वस्तुओं को प्रयोग में नहीं लाने की आज्ञा देता है, तो वह व्यक्ति अपने शासक की अवज्ञा का अधिकार रखता है।

आलोचना :- हॉब्स द्वारा वर्णित सामाजिक समझौते के सिद्धान्त की विद्वानों ने आलोचना की है। जो निम्न है।

(i) हॉब्स का सामाजिक समझौता मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था की

दुःसह स्थिति से हटाकर एक-दूसरी दुःसह स्थिति में छोड़ा है। आलोचकों के अनुसार जनता हॉब्स के निरंकुश संप्रभु की स्वेच्छाचारिता की चक्की में पिसती रहती है।

(ii) समझौता के क्रम में कई विचार भ्रम उत्पन्न करते है। एक तरफ उसने समझौता तथा शासक के चुनाव में "अनेक मनुष्यों तथा 'समुदाय के अधिकांश भाग' के नेतृत्व का आभास दिया है तथा दूसरी तरफ उसने सभी व्यक्तियों की परस्पर समझौते की बात कही है। आलोचकों के अनुसार सामाजिक समझौता पूर्णतः सामाजिक और निर्दोष नहीं प्रतीत होता है।

(iii) आलोचकों के अनुसार हॉब्स जिस प्रकार राज्य को मनुष्यों के सामाजिक समझौते से उत्पन्न एक कृत्रिम संस्था बताता है उसी प्रकार उसका सैद्धांतिक विचार भी सच्चाई से परे हैं। इतिहास में इस प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता है, जिससे हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धान्त की पुष्टि होती है। आलोचकों के अनुसार राज्य प्राकृतिक और स्वाभाविक है न कि बनावटी और कृत्रिम।

(iv) आलोचकों के अनुसार हॉब्स ने गृहयुद्ध के प्रसंग में शासक के पक्ष को मजबूत करने के लिए अपना सिद्धान्त दिया था। उसने राजा को निर्बाध रखने हेतु सामाजिक समझौते में शामिल नहीं किया। जनता उसके दर्शन में पूर्णतः उपेक्षित है। जो व्यक्ति समझौता करते हैं, वे ही अवहेलित रह जाते हैं।

हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धान्त के कई गुण हैं। इससे धर्मान्ध दैवी सिद्धान्त का खण्डन तो हुआ, परन्तु राजा का पक्ष कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि हॉब्स ने उसकी शक्ति को सामाजिक समझौते और जन-सहमति का आधार प्रदान किया था। हॉब्स इंगलैण्ड में फैलने वाली अराजकता का कारण जनता को मानता था। अतः उसने शासक को समझौते में शामिल न करके उसे निर्बाध और निर्द्वंद्व रखा है। हॉब्स के समझौता में एक गुण यह भी है कि अराजकता फैलाने वाली जनता अपने शासक को अपनी सहमति पर आधारित जानकर उसके विरुद्ध अनावश्यक विद्रोह करना छोड़ देगी।

— x — x —

Scanned with CamScanner